सार्वजनिक टेलीफोन घर किराया एवं गारंटी की शर्तों के आधार पर मार्च, 1981 में मंजूर किया गया था। परन्तु गारंटी देने वाले ने अभी तक गारंटी राशि जमा नहीं की इसलिए आगे की कार्यवाही रुकी पड़ी है। अतः इस स्थिति में वह समय बताना संभव नहीं है जब सार्वजनिक टेलीफोन घर खोल दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर में पनबिजली का उत्पादन

4863. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश की 5,300 मैगावाट और जम्मू तथा कश्मीर की 4,500 मैगावाट पनबिजली उत्पादन करने की क्षमता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अधिक बिजली उत्पादन करने की दृष्टि से अपने स्रोतों के उपयोग के लिये कोई निर्णय किया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ने देश में जल विद्युत् शक्यता का पुनर्मूल्यांकन करने का कार्य हाथ में लिया है तथा अब तक किए गये अनन्तिम मूल्यांकन के आधार पर हिमाचल प्रदेश की शक्यता, 60 प्रतिशत भार अनुपात पर लगभग 9900 मेगावाट और जम्मू और कश्मीर की शक्यता 60 प्रतिशत भार अनुपात पर लगभग 6300 मेगावाट आंकी गई है।

(ख) हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर की प्रचालनाधीन निर्माणाधीन और जांच की जा रही जल विद्युत् स्कीमों के ब्यौरे क्रमशः विवरण–एक और विवरण–दो में दिए गए हैं।

विवरण—एक

हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत् स्कीमें

(अ) **प्रचालनाधीन स्कीम**

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1. गिरी	60
2. बरूवी . .	45
3. बैरा स्यूल . .	120

(ब) **निर्माणाधीन स्कीमें**

1. देहर विस्तार .	2×165
2. पोंग विस्तार .	2×60
3. भाबा (संजय) .	3×40
4. आंध्रा .	3×5
5. बानेर .	2×3
6. बिनवा .	2×3
7. रोंग टोंग . .	4×0.5

(स) **जांच की जा रही स्कीमें**

1. थीरोट* . .	3×1
2. नाथपा झाकरी*	6×170
3. गज* . .	3×3.5
4. कोल बांध . .	4×150

1	2
5. चमेरा . .	3×180
6. सीयोमल .	3×1.5
7. होली .	3×1.5
8. रेनुका (बहुउद्देश्यीय)	2×20

जम्मू और कश्मीर में जलविद्युत् स्कीमें

(अ) प्रचालनाधीन स्कीमें

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1. मोहारा	9
2. गंधार बाल	15
3. चेनानी	23
4. अपर सिन्ध चरण-1	22
5. लोअर जेहलम	105

(ब) निर्माणाधीन स्कीमें

1. सतकना चरण-1	2×2
2. सलाल	3×115
3. करनाह	2×1
4. कारगिल	3×1.25

(स) जांच की जा रही स्कीमें

1. अपर सिंध चरण--दो*	2×35
2. दमकहार	4×0.5
3. बोनीयार चरण-1	2×3
4. पहलगांव	3×1
5. चेनानी दो और तीन	4×2
6. रंजा अला दुनादी	2×3.5
7. आस्तान नाला	2×0.5
8. सेवा	3×30
9. सोन मार्ग	3×28

*केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित

M.R.T.P. Clearance for Seyabean Project of M/s. Britania Industries Ltd.

4864. SHRI PRATAP BHANU SHARMA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the application of M/s. Britania Industries Ltd. for MRTP clearance to their Soyabean Project proposed to be set up at Vidisha in Madhya Pradesh is still pending with the Ministry for the last 1½ years.

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) how much further time is expected to be taken to clear it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI A. A. RAHIM): (a) and (b). M/s. Britania Industries Limited made an application under Section 22 of the M.R.T.P. Act, 1969, for the establishment of a new undertaking at Vidisha in the State of Madhya Pradesh for the manufacture of